अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/519

1. रामपाल आत्मज श्री भैरूलाल जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामकन्या बाई बेवा श्री रामपाल जी जाति मेघवंशी निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. घींसी बाई पुत्री श्री भैरूलाल जी जाति मेघवंशी निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल आत्मज श्री बिरधा जी
2. किशोर आत्मज श्री पांच्या जी (नाम तर्क) ।
3. देवा आत्मज श्री पांच्या जी ।
4. मुन्नी बेवा पांच्या जी ।
5. भूली बाई बेवा श्री चतरा उर्फ कालू ।
6. रामपति पुत्री श्री चतरा उर्फ कालू ।
7. मोडीबाई पुत्री श्री पांचू जी ।
8. भूली पुत्री श्री नाथू जी (नाम तर्क) ।
9. छोटी पुत्री नाथू जी ।
10. केसर पुत्री श्री नाथू जी जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा
11. राजस्थान राजय जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 58/दावा/2012

1. रामपाल आत्मज श्री भैरूलाल जी जाति मेघवंशी आयु 44 वर्ष ।

2. घींसी बाई पुत्री श्री भैरूलाल जी जाति मेघवंशी निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. गोपाल आत्मज श्री बिरधा जी
2. किशोर आत्मज श्री पांच्या जी (नाम तर्क) ।
3. देवा आत्मज श्री पांच्या जी ।
4. मुन्नी बेवा पांच्या जी ।
5. भूली बाई बेवा श्री चतरा उर्फ कालू ।
6. रामपति पुत्री श्री चतरा उर्फ कालू ।
7. मोडीबाई पुत्री श्री पांचू जी ।
8. भूली पुत्री श्री नाथू जी (नाम तर्क) ।
9. छोटी पुत्री नाथू जी ।
10. केसर पुत्री श्री नाथू जी जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा
11. राजस्थान राजय जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हुकम चन्द जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/519

1. रामपाल आत्मज श्री भैरूलाल जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामकन्या बाई बेवा श्री रामपाल जी जाति मेघवंशी निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. घींसी बाई पुत्री श्री भैरूलाल जी जाति मेघवंशी निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल आत्मज श्री बिरधा जी
2. किशोर आत्मज श्री पांच्या जी (नाम तर्क) ।
3. देवा आत्मज श्री पांच्या जी ।
4. मुन्नी बेवा पांच्या जी ।
5. भूली बाई बेवा श्री चतरा उर्फ कालू ।
6. रामपति पुत्री श्री चतरा उर्फ कालू ।
7. मोडीबाई पुत्री श्री पांचू जी ।
8. भूली पुत्री श्री नाथू जी (नाम तर्क) ।
9. छोटी पुत्री नाथू जी ।
10. केसर पुत्री श्री नाथू जी जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. राजस्थान राजय जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेंन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर

निवेदन किया कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद में खाता नम्बर 291 पर खसरा नम्बर 26 की 1.60 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 27 की 0.05 हैक्टर कुल 02 किता की 1.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 6 के शामलाती खाते में दर्ज है । ग्राम खण्डगॉव तहसील दीगोद में खाता नम्बर 86 पर खसरा नम्बर 05 की 0.14 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 06 की 0.66 हैक्टर व खसरा नम्बर 48 की 1.79 हैक्टर कुल 03 किता की 2.59 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 व 5 से 7 के शामलाती खाते में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम खण्डगॉव तहसील दीगोद में खाता नम्बर 47 की खसरा नम्बर 49 की 0.17 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 50 की 0.09 हैक्टर कुल 02 किता की 0.26 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 व 5 से 10 के शामलाती खाते दर्ज है । उक्त भूमियॉ पूर्व में वादीगण के पूर्वज भवाना के नाम दर्ज थी । भवाना की मृत्यु के बाद नाथू बिरधा व पाथू के नाम दर्ज हुई । तीनों खातों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम शामलाती रूप से दर्ज चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी का विभाजन 50 वर्ष पूर्व हो गया और वादीगण के दादा नाथू जी के हिस्से में तीनों गॉव की भूमियॉ मिलाकर विभाजन में प्राप्त हुई । पूर्व में हुए विभाजन के अनुसार ग्राम खण्डगॉव की आराजी खसरा नम्बर 48 की 1.79 हैक्टर व खसरा नम्बर 49 की 0.17 हैक्टर व खसरा नम्बर 50 की 0.09 हैक्टर भूमि पर एंव ग्राम नोताडा की खसरा नम्बर 26 की 1.60 हैक्टर आराजी में से 1.12 हैक्टर भूमि पर वादीगण का उसके पिता व दादा का पिछले 50 वर्षो से अधिकर समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई और वह उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द व रहन, बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम खण्डगॉव तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 49 की रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 की 0.09 हैक्टर भूमि कुल 0.26 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 1 से 6 का नाम विलोपित किया जावे । ग्राम खण्डगॉव तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 48 की 1.79 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 5 व 6 से वादीगण का नाम हटाया जावे व खसरा नम्बर 48 पर से प्रतिवादी कम 1 से 3 व 5 से 7 का नाम विलोपित किया जावे । ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 26 की 1.60 हैक्टर भूमि में से 1.12 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 26 पर से राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 1 से 3 व 5 से 10 का नाम विलोपित किया जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रखी जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नहीं करे और न ही वह भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करे ।

4. प्रतिवादी कम 1 गोपाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चला था उक्त वाद में दिनांक 22.11.2006 को निर्णय पारित हुआ और प्राथमिक डिक्री पारित की गई । उक्त निर्णय की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने दिनांक 28.03.2012 को निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज कर दी । अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री भी पारित की गई है । इन सब तथ्यों को छुपाते हुए वादीगण ने नया वाद प्रस्तुत किया है जो रेसजूडीकेटा का असर रखता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 29.08.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद का वादकारण भी भिन्न है तथा सहायता भी भिन्न है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को धारा 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय गुणागवुण के आधार पर किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट का दावा धारा 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद का वादकारण भी भिन्न है तथा सहायता भी भिन्न है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को धारा 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री नहीं बनाई है इस कारण नकल निर्णय के साथ अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य बंटवारे की प्रारम्भिक एंव अंतिम डिक्री पारित हो चुकी है जिसके खिलाफ अपील पेश किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है । इस समय इसी आराजी के बाबत् पक्षकारों के मध्य नया दावा चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक दावा रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ हक, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया गया है ।

11. रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 11 सीपीसी के साथ उपखण्ड अधिकारी, दीगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2008 की प्रति संलग्न की गई है जिसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारों के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें भैरूलाल अपीलान्ट के पिता हैं वो बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार हैं ।

12. वादग्रस्त आराजी भी समान है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 28.03.2012 की भी प्रति संलग्न की गई है जो इसी अपीलान्ट के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई थी और इस न्यायालय के द्वारा अपील खारिज की गई थी । अब अपीलान्टगण के द्वारा इन समस्त तथ्यों को छुपाकर नया दावा हक, घोषणा का इसी आराजी के बाबत् पेश किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । यदि अपीलान्ट को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2012 से अप्रसन्नता थी तो उन्हें इसकी द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में पेश करनी चाहिए थी न कि नया दावा । इस प्रकार अपीलान्टगण के द्वारा जो दावा पेश किया गया है वह तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है । अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आए हैं इस कारण भी उनका दावा चलने योग्य नहीं है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्टगण वादीगण का दावा खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2012 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.2018

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा